



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940

No. 718]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

सं. 53/2018-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1007(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये 23 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा और 23 अक्टूबर, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में

सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है।”।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट.)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा, जो सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 867(अ), तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 49/2018-केंद्रीय कर, तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION
New Delhi, the 9th October, 2018

No. 53/2018 – Central Tax

G.S.R. 1007(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd October, 2017.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd October, 2017, namely:—

“(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1305 (E), dated the 18th October, 2017 or notification No. 40/2017-Central Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1320 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E) dated the 13th October, 2017.”.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 49/2018-Central Tax, dated the 13th September, 2018, published vide number G.S.R 867 (E), dated the 13th September, 2018.